

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद की भांति उ0 प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परीक्षाओं के आयु एवं परीक्षा अवधि को सीमित किये जाने पर निर्णय

बैठक में उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के मा0 सदस्य श्री जिरगामुद्दीन एवं श्री मोहम्मद शहरयार द्वारा यह अवगत कराया गया कि उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद को छोड़ कर शेष सभी बोर्डों में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद की आरम्भिक बोर्ड परीक्षा अर्थात् मुंशी/मौलवी में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की जाये। निदेशक/उपाध्यक्ष द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सभी की सहमति से परीक्षाफल घोषित होने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने सम्बन्धी प्राविधान किये जाने पर बल दिया गया। इस पर यह निर्णय लिया गया कि परीक्षाफल घोषित होने वाले वर्ष के 31 मार्च को मुंशी/मौलवी परीक्षा के अभ्यर्थी की आयु 14 वर्ष हो। अर्थात् 2020 की परीक्षा में 31 मार्च, 2020 को मुंशी/मौलवी कोर्स में परीक्षार्थी की न्यूनतम आयु 14 हो।

चर्चा के दौरान यह पाया गया कि मदरसा शिक्षा की एक डिग्री अधिकतम कितने वर्ष की अवधि में पूरी की जा सकती है, यह निर्धारित नहीं है। सम्यक विचारोपरान्त कोर्सवार अधिकतम समयावधि निम्नानुसार निर्धारित की गयी :-

क्रम संख्या	कोर्स का नाम	कोर्स की अवधि	वर्तमान में डिग्री पूरी होने की अधिकतम समयावधि	डिग्री पूरी होने की निर्धारित की जा रही अधिकतम समयावधि
1	2	3	4	5
1	मुंशी/मौलवी	02 वर्ष	कोई नहीं	04 वर्ष
2	आलिम (फारसी/अरबी)	02 वर्ष	कोई नहीं	04 वर्ष
3	कामिल (फारसी/अरबी)	03 वर्ष	कोई नहीं	06 वर्ष
4	फाजिल (समस्त)	02 वर्ष	कोई नहीं	04 वर्ष